

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-101/2014/18

रायपुर, दिनांक /01/2015

प्रति,

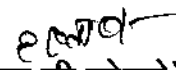
समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़।

विषय:- नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के वर्तमान निर्वाचित परिषद के कार्यकाल अवसान दिनांक से आगामी निर्वाचित परिषद के प्रथम सम्मेलन के संबंध में।

नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के वर्तमान निर्वाचित परिषद के कार्यकाल अवसान दिनांक से आगामी निर्वाचित परिषद के प्रथम सम्मेलन आयोजन दिनांक तक प्रशासक नियुक्ति हेतु छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 05.01.2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-यथोपरि


(एल.डी.चोपड़े)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ0 पत्र क्र. एफ 1-101/2014/18

रायपुर, दिनांक 07/01/2015

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, दुर्ग, जगलदपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,.....
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 जनवरी 2015—पौष 15, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-101/2014/18.— राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों के वर्तमान निर्वाचित परिषद् के कार्यकाल अवसान दिनांक से आगामी निर्वाचित परिषद् के प्रथम सम्मिलन आयोजन दिनांक तक छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 422 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 के तहत छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 423 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रशासक नियुक्त करता है :-

1. नगर पालिक निगम में — संबंधित जिले के कलेक्टर या इसी स्तर के अधिकारी
2. नगर पालिका परिषद् में — संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिप्टी कलेक्टर
3. नगर पंचायत में — संबंधित जिले के तहसीलदार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 1-101/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-101/2014/18 दिनांक 05-01-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th January 2015

NOTIFICATION

No. F 1-101/2014/18.— In exercise of the powers conferred by section 422 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) and section 328 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby appoint administrator under section 423 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 and section 328 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 from the date of completion of the present elected body till the first meeting of the newly elected municipal corporation or municipality:-

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | In Municipal Corporation | - | District collector or equivalent officer |
| 2. | In Municipal Council | - | Sub divisional officer revenue of the district concerned or deputy collector |
| 3. | In Nagar Panchayat | - | Tahsildar of the district concern |

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.